अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कालू बनाम शांति कंवर भाटी वगैरह ।
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 26/2023 (सरवाड़)

रिमाण्ड 17/01/23

	श्रीविकास पाराशर एड़वोकेट कालू बनाम शांति कंवर भाटी (2023/36)
16.01.2023	यह अपील श्री विकास पाराशर एड़वोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रकरण संख्या 299/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु रिजर्व रखी जाती है।
17.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.01.2023 को सुना जाकर रिजर्व किया गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष एक वाद पत्र तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया कर कथन किया कि खाता संख्या 62 लगायत 53 के खसरा नम्बर 848 रकबा 2.39 है0 वाकै ग्राम हींगतड़ा तहसील सरवाड़ में स्थित है उक्त भूमि में अपीलांट का 907/4302 हिस्सा है जो अपीलांट के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य में चला आ रहा है। अपीलांट के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी पर हक हिस्सा अधिकार नही है।रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की नियत बंद है व येन केन प्रकरेण अपीलांट की उक्त आराजी को हड़प करना चाहते है, इसलिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 23.06.2022 को अपीलांट के हिस्से की आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने, कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के आदेश प्रदान किए गए और विपक्षीगण को रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस जारी करने के आदेश दिये। इसके पश्चात दिनांक 12.12.2023 को रेस्पोडेन्टस के अधिवक्त उपस्थित हुए। जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा सभी पक्षकारो को रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस भी जारी करवा दिए। आगामी पेशी दिनांक 04.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजाण्ड आदेश से खारिज कर दिया। जिससे असंतुष्ट अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि अपीलांट द्वारा जाप्ता दीवानी के प्रावधानो आदेश 39 नियम 3 क की पूर्ण पालना की गई तथा विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था किन्तु उसके पश्चात गैर कानूनी तौर पूर्व जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को समाप्त कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय को भी जवाब विपक्षीगण हाजिर हो गए तो उनका

Scanned with CamScanner

जवाब लेकर गुणावगुण पर ही निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु उनके द्वारा बिना कोई कारण दिए तकनीकी आधार पर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश समाप्त कर कानूनी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात में कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर आमादा है जिन्हे न्यायहित में रोका जाना अति आवश्यक है अन्य यदि वे अपने उक्त कृत्य में सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.1.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाकर विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2022 को विवादित आराजी बाबत् अन्तरिम स्थगन दिये गये थे तथा दिनांक 04.01.2023 को उक्त अन्तरिम स्थगन खारिज करने के आदेश दिये है। जब एक बार विवादित आराजी बाबत् स्थगन दे दिया गया और फिर उक्त स्थगन आदेश को खारिज करना विधि सम्मत नही है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। चुँकि प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा किया जाना है इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 299/2020 बउनवान कालू बनाम शांति कंवर वगैरह में अंकित विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनायी रखे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न ना करें। प्रार्थी/अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे शेष अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से पेश करने हेतु पाबंद किया जाता है। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ के समक्ष दिनांक 06.02.2023 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

Scanned with CamScanner